

8/C

न्यायालय:- गिरजेश कुमार सनोडिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डिण्डौरी जिला
डिण्डौरी मध्यप्रदेश

प्रशासनिक आदेश

ज.क.मांक / - ६९ / न्या.सी.जे.एम. / स्टेनो / 2026 डिण्डौरी, दिनांक 23.04.2026

मैं गिरजेश कुमार सनोडिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डिण्डौरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला डिण्डौरी में पदस्थ निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को सारणी में उनके नाम के आगे दर्शित अवकाश तिथियों में रिमाण्ड/आपराधिक विधि के तहत अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य के लिए अधिकृत करता हूँ :-

माह मई 2026

जिला मुख्यालय डिण्डौरी

क.	अधिकारी का नाम	माह-मई 2026
1.	श्रीमती कमला उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला डिण्डौरी	03.05.2026
2.	श्री अतुल श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला डिण्डौरी	01.05.2026, 02.05.2026,
2.	सुश्री रिया डेहरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला डिण्डौरी	10.05.2026

तहसील शहपुरा

क.	अधिकारी का नाम	माह-मई 2026
1.	श्री कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा जिला डिण्डौरी	01.05.2026, 02.05.2026, 03.05.2026, 10.05.2026

नोट:-{1} संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक को 03:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक उपस्थित होकर, अपने-अपने न्यायालय कक्ष में रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे व उनके सहयोग हेतु उनके न्यायालय का स्टाफ उपस्थित रहेगा। उक्त आदेश दिनांक 01.05.2026 से प्रभावी रहेगा।

{2} यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तन करना चाहता है तो उपरोक्त संबंध में संबंधित मजिस्ट्रेट से चर्चा कर सहमति आवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

{3} माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कोई अवकाश परिवर्तित किया जाता है तो ऐसे परिवर्तित अवकाश दिनांक को पूर्व घोषित अवकाश दिनांक को ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट परिवर्तित अवकाश दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

{4} यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण/प्रमोशन आदि हो जाता है तो आने वाले न्यायाधीश की ड्यूटी मानी जावेगी और उन्हें रिमाण्ड कार्य सम्पादित करना होगा।

{5} तहसील न्यायालय शहपुरा स्थित पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति या अवकाश की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य जिला मुख्यालय में उपलब्ध, रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

{6} पीठासीन अधिकारी के आकस्मिकता की स्थिति में अनुपस्थित या अवकाश की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्पादित किया जावेगा अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किये जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।

{7} मध्यप्रदेश शासन या मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त अवधि में आकस्मिक/स्थानीय/सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने पर उस दिनांक को जिला मुख्यालय में रिमाण्ड ड्यूटी सुश्री रिया डेहरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी एवं तहसील शहपुरा में रिमाण्ड ड्यूटी श्री कर्नल सिंह श्याम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा के द्वारा संपादित की जावेगी तथा उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने पर जिला मुख्यालय/तहसील मुख्यालय में उपलब्ध/उपस्थित मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित की जावेगी।

girsan

गिरजेश कुमार सनोडिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डिण्डौरी मध्यप्रदेश

डिण्डौरी, दिनांक- 23.04.2026

पृष्ठांकन क्रमांक/ /2026

प्रतिलिपि:-

1. कार्यालय, मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, डिण्डौरी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री राम प्रसाद सिंह/श्रीमती कमला उईके/श्री अतुल श्रीवास्तव/सुश्री रिया डेहरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी, श्री कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक डिण्डौरी की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, वे समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को इस आदेश से अवगत करावें।
4. अध्यक्ष/सचिव, जिला अभिभाषकगण, डिण्डौरी/शहपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी/शहपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट जिला न्यायालय डिण्डौरी/शहपुरा सी.आई.एस. कम्प्यूटर अनुभाग डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ एवं रिमाण्ड ड्यूटी आदेश को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ई-मेल में अपलोड कर इस न्यायालय को अवगत करावें।

girsan
23/4/26

गिरजेश कुमार सनोडिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डिण्डौरी मध्यप्रदेश